दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र

हमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ वर्ष 63 ❑ अंक-03 ❑ दिल्ली ❑ नवम्बर (प्रथम) 2024 ❑ मूल्य : 2 रु.

डा. अम्बेडकर मिशन आगे बढ़ेगा तो दलित समाज भी आगे बढ़ेगा–डॉ. सुमनाक्षर

भारतीय इतिहास में महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक विषमताओं के खिलाफ विद्रोह किया। वह मनुष्य को केन्द्र बिन्दु मानकर समता, बन्धुता और मैत्री का मूल्य मानकर व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे। ब्राह्मणवाद के खिलाफ उन्हें सफलता मिली और उनके राजा– महाराजा, सामन्ती वर्ग उनके अनुयायी बने गये, पर समाज का उपेक्षित अछूत वर्ग उनके इस आन्दोलन से अप्रभावित रहा।

महात्मा बुद्ध के बाद इस उपेक्षित अछूत वर्ग को समाज में समता व सम्मान दिलाने के लिए गुरु रविदास एवं सद्गुरु कबीर ने मनुवादी वर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए आवाज बुलन्द की। इससे ब्राह्मणवाद पर प्रहार तो हुआ, पर शासन–प्रशासन पर राजा–महाराजा और सवर्णों का सीधा नियंत्रण होने के कारण उनके सामाजिक आन्दोलन को सन्तों का उद्घोष कहकर कमजोर कर दिया गया।

इसके बाद अठारहवीं सदी में उपेक्षित समाज में जन्मे महात्मा जोतिबा फुले ने धार्मिक ग्रन्थों व वर्ण व्यवस्था को नकारा और सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की मांग की। उन्होंने ब्राह्मणवादी नियमों को ठुकराते हुए स्त्री व दलित अछूतों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले, विधवा विवाहों को प्रोत्साहित किया और गुलामगीरी को महान अपराध बताया।

महात्मा जोतिबा फुले से प्रेरणा लेकर छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपने प्रशासन में नकारे गये इस उपेक्षित अछूत वर्ग को सम्मान देने और समाज में समानता के स्तर पर लाने के लिए 1902 में सबसे पहले सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण कोटे की व्यवस्था की। समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की इस प्रक्रिया को बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने और आगे बढ़ाया।

इंग्लैंड से ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार ने भारत के अछूतों की दशा जानने के लिए 'साइमन कमीशन' को मई, 1928 को भारत भेजा। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने भारत के अछूतों की समस्याओं से सम्बन्धित एक मांग पत्र इस 'साइमन कमीशन' को सौंपते हुए उन्हें चुनावों में वोट देने के अधिकार के साथ–साथ शासन–प्रशासन व शिक्षण संस्थानों में 'आरक्षण कोटा' लागू करने की मांग की थी।

इस 'साइमन कमीशन' की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के अछूतों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए 17–30 नवम्बर, 1930 में इंग्लैंड में 'राउण्ड टेबुल कान्फ्रेंस' का आयोजन किया। इसमें भाग लेने के लिए अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर तथा सवर्ण हिन्दुओं के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया था। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर तो इस कान्फ्रेंस में इंग्लैंड पहुंचे, पर गांधी जी इस कान्फ्रेंस में नहीं पहुंचे। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड में ही दूसरी 'राउण्ड टेबुल कान्फ्रेंस' 15–29 अगस्त, 1931 में आयोजित की। इस कान्फ्रेंस में महात्मा गांधी भी हिन्दुओं के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। गांधी जी ने बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर को भारत के दलित अछूतों का प्रतिनिधि मानने से इन्कार करते हुए कहा–"मैं समस्त भारत के हिन्दुओं का प्रतिनिधि हूं। चूंकि अछूत (शूद्र) हिन्दुओं की वर्ण व्यवस्था के अंग हैं, अतः वे हिन्दू हैं। इसलिए मैं इन अछूतों का भी प्रतिनिधि हूं। फिर अम्बेडकर दलितों के कैसे प्रतिनिधि हुए? इसलिए उन्हें दलितों का प्रतिनिधि न मानकर उन्हें 'कान्फ्रेंस' में उनका पक्ष रखने का अधिकार न दिया जाये।" गांधी जी के भाषण के बाद उस दिन कार्रवाई खत्म हो गई।

कान्फ्रेंस में अगले दिन की कार्रवाई शुरू होते ही बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़े होकर कहा कि कल गांधी जी ने मुझे भारत के अछूतों का प्रतिनिधि होने को चुनौती दी थी। मैं उनकी चुनौती को स्वीकारते हुए कहना चाहूंगा कि

(शेष पृष्ठ 5 पर)

सम्पादकीय

दलित शब्द और दलित साहित्य

• डा. सोहनपाल सुमनाक्षर

'दलित' शब्द मूल नहीं है, यह अपनी परिभाषा स्वयं उद्‌भाषित करता है। दलित वह है जिसका दलन किया गया हो, शोषण किया गया हो, उत्पीड़न किया हो। उपेक्षित, अपमानित, प्रताड़ित, बाधित और पीड़ित व्यक्ति भी 'दलित' की श्रेणी में आते हैं। इस तरह 'दलित' शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत जहां सदियों से सामाजिक वर्णव्यवस्था और जातिवाद से अभिशप्त दलित, शोषित, उपेक्षित व उत्पीड़ित बन्धनों में बाधित नारी एवं बच्चे भी इस श्रेणी में शामिल हैं। भूमिहीन, अछूत, बंधुआ, दास, गुलाम, दीन और निराश्रित भी 'दलित' ही हैं।

'दलित' शब्द जहां व्यक्ति को अपनी अस्मिता, स्वाभिमान और अपने गौरवमयी इतिहास पर दृष्टिपात करने को बाध्य करता है, वहीं पर अवगति, वर्तमान स्थिति और तिरस्कृत जीवन के विषय में सोचने के लिए विवश करता है। हम कौन थे? क्या थे? क्या हो गये? आदि ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें 'दलित' शब्द उत्तर पाने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह का 'दलित' शब्द का सम्बन्ध जहां सरस्वती और सिन्धु घाटी की सभ्यता, वहां के निवासी से जुड़ा है, जिन्होंने भारत की धन–सम्पदा के आकर्षण में इस सभ्यता के सृजनकर्ताओं को उजाड़ा, पराजित किया, उनकी संस्कृति, धर्म, साहित्य पर कब्जा किया, अपनाया और उन पर सामाजिक बन्धन थोपकर उन्हें गुलाम बना दिया। शिक्षा ग्रहण करने, धन अर्जित करने और दूसरों से समानता करने के अधिकार पर सदैव के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया। इसीलिए 'दलित' शब्द व्यक्ति को अपने गौरवमयी अतीत की तरफ झांकने के लिए प्रेरित करता है।

'दलित' शब्द सामाजिक असमानता की ओर भी इंगित करता है। एक जैसे डील–डोल वाले, एक जैसे रक्त वाले लोगों में परस्पर ऊंच–नीच, छोटे–बड़े की भावना क्यों है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छुआछूत क्यों करता है? मन्दिर में कुत्ता प्रवेश कर सकता है, पर एक अछूत 'इंसान' मन्दिर में भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, क्या कारण है? हम विदेशी, विधर्मी के साथ बैठकर खा सकते हैं, रोटी–बेटी का रिश्ता कर सकते हैं, पर एक 'दलित' स्वधर्मी को पास बैठाने से हिचकिचाते हैं, आखिर क्यों?

'दलित' शब्द इतिहास के उस पहलू पर भी प्रकाश डालता है जिसके कारण हमारा देश भारत सैकड़ों वर्षों तक विदेशियों का गुलाम रहा? समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने आत्माभिमान और 'अहं' के कारण समाज की असली रीढ़–श्रमजीवी और शिल्पकार वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से काटकर रख दिया। जिस कारण से क्षत्रियों की शूरवीरता कमजोर पड़ गयी और वे विदेशियों के सामने परास्त होते चले गये। अगर दलितों का सही मूल्यांकन किया होता, उनकी वास्तविक शक्ति का सदुपयोग होता तो भारत कभी विदेशियों का गुलाम नहीं बनता, पर दुःख इस बात का है कि यहां के तथाकथित उच्च वर्ग ने विदेशियों की दासता सहज ही कुबूल कर ली, पर 'दास' बनाये अपने भाइयों को गले लगाना अपनी

(शेष पृष्ठ 3 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्‌घोष	डा. सुमनाक्षर	100/–
दलित साहित्य की हुंकार–सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
मेरे साक्षात्कार–मेरा जीवन संघर्ष	डा. सुमनाक्षर	300/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	100/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	100/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	100/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	100/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	100/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	200/–
Who's who Dalit Writers in India	Dr. Sumanakshar	500/-
Who's Who–International & National Awardees of B.D.S.A.	Dr. Sumanakshar	500/-

पुस्तक मंगाने के लिए अग्रिम राशि निम्नलिखित अकादमी के खाते में भेजें

Bharatiya Dalit Sahitya Akademi
A/c No. - 2592101012292 (Canara Bank)
IFSC - CNRB0002592
Branch - Model Town, Delhi

सम्पादकीय का शेष....दलित शब्द और दलित साहित्य

इज्जत के खिलाफ समझा।

'दलित' शब्द आज 'प्रेरणा' और 'विद्रोह' का पर्यायवाची भी है। दलितों को जहां वह उनके गौरवमयी अतीत को दर्शाता है, वहीं वह उन्हें सामाजिक आजादी, समानता और सम्मान के लिए प्रेरित करता है। वह उन शक्तियों के विरुद्ध खुला विद्रोह करने की भी प्रेरणा देता है जिन्होंने झूठे सामाजिक नियमों में बांधकर न केवल उनकी 'विवेक शक्ति' को ही नकारा बना दिया बल्कि उनकी सोच को भी सदैव के लिए गुलाम बनाकर रखा।

इस तरह आज 'दलित' शब्द उन बेजुबानों की आवाज है जिनकी जुबान 'वेद मन्त्र' दोहराने पर काट दी गयी, उन लोगों की श्रवण शक्ति है, जिनके कानों में 'वेद मन्त्र' सुनने पर उबलता हुआ शीशा उडेल दिया गया, उन लोगों के हाथ हैं जिन्हें समानता के अधिकार मांगने के अपराध में काट दिया गया और उन लोगों के पांव हैं जिन्हें न्याय की याचना करने के लिए बढ़ने पर कलम कर दिया गया।

'दलित' शब्द आक्रोश, चीख, वेदना, पीड़ा, चुभन, घुटन, छटपटाहट का प्रतीक है। यह उन लोगों की ओर संकेत करता है जो अमानुषिक सामाजिक व्यवस्थाओं में बंधे, अन्याय, चुभन, घुटन और छटपटाहट को अनदेखा कर मनुस्मृति की जालिम न्याय प्रणाली की दुहाई देकर उल्टे उनके रिसते घावों पर नमक–मिर्च छिड़का गया। वे और छटपटाएं, पर धीरे–धीरे भाग्य, भगवान और विधि का विधान मान वे कुण्ठित होकर बैठ गये। यह उन लोगों का प्रतिनिधि है जो सदियों से बंधुआ बने नरकीय जीवन जीते रहे, खून के आंसू पीकर बेबसी में बेगार करते रहे, मां–बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ करते देखकर भी आक्रोश को रोके रहे। हर क्षण कदम–कदम पर अत्याचार, अपमान, सहते हुए सब्र का घूंट पीते रहे।

इस तरह 'दलित' शब्द एक इतिहास है, सामाजिक दर्पण है, सर्वहाराओं का चमत्कार है, अस्मत, अस्मिता, असमानता और अनाचार विवेचक है। यह शोषकों, दुराचारियों, अन्यायियों के कुकर्मों को पर्दाफाश करके जहां दलितों, पीड़ितों, दासों और पराधीनों को इनसे स्वतन्त्र होने का आह्वान करता है, वहीं उन्हें समता और सम्मान के साथ सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह 'दलित' शब्द सच्चा पथप्रदर्शक ही नहीं, अपितु सच्चा नेता है जो अवनति से प्रगति की ओर ले जाता है और निर्जीवों में संजीवनी फूंकता है।

'दलित' शब्द जब साहित्य के साथ मिल जाता है तो साहित्य को विशिष्टता प्रदान करता है, विशेष अर्थ गौरव से सुशोभित करता है। ऐसे साहित्य को एक पृथक् धारा प्रदान करता है, एक नयी पहचान से परिचित कराता है। 'साहित्य' के साथ 'दलित' शब्द मिलकर वह 15 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधि नहीं रहता, अपितु धरती से जुड़े 85 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधि साहित्य कहलाता है।

दलित साहित्य

दलित साहित्य दलितोत्थान साहित्य यानि वह साहित्य जो दलितों, पीड़ितों, शोषितों, उपेक्षितों और असहाय वर्ग के उत्थान और नव विकास के लिए प्रेरित करता है, जो एसे व्यक्तियों को उनके गौरवमयी इतिहास से परिचित कराते हुए उनको उनके मानवीयता की पहचान से अवगत कराता है। यह वह साहित्य है जो धरती से जुड़े लोगों को उनकी समस्या और दुर्दशा से अवगत कराते हुए उनको निराकरण और समाधान के उपाय बताता है।

दलित साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो सभी तरह की वर्ण–व्यवस्था, जाति–पांत, ऊंच–नीच, भेदभाव के दायरे से ऊपर है और जिसे धर्म, भाषा और प्रदेश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। यह समाज के सर्वहारा वर्ग के समान निश्छल और सरल है। इसे अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए किसी छन्द, अलंकार आदि की आवश्यकता नहीं। दलन की वेदना, शोषण की कुढ़न, अन्याय का उत्पीड़न और अत्याचार का रुदन, अपमान की पीड़ा अभिव्यक्ति, भाषा और अलंकार नहीं देखती।

दलित साहित्य पुनर्जन्म, भाग्य, भगवान, धर्म, कर्म के सिद्धान्त को नकारता है और व्यक्ति को साधना, आस्था और चिन्तन के प्रति उन्मुख करता है। यह वह साहित्य है जो एक स्वस्थ, उचित, लक्ष्य की ओर मानव समाज में समृद्धि भाव उत्पन्न करता है। यह इंसान को इंसान से तोड़ता नहीं, जोड़ता है। वह इंसान में इंसान के प्रति भेदभाव, तिरस्कार, अलगाव, घृणा पैदा नहीं करता अपितु उनमें मानव प्रेम, सहिष्णुता, भ्रातृ–भाव पैदा करता है। मानव जीवन में समरसता और समन्वय लाता है।

दलित साहित्य इंसानियत, भेदभाव, छुआछूत, घृणा, नारी शोषण, बंधुआ जीवन, धार्मिक कठमुल्लापन, कर्मकाण्ड, रुढ़िवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ खुला विद्रोह हैं जो इन्सानियत प्रेमी है, उनकी यह प्रशंसा करता है, जो दलितोत्थान में जुड़े हैं, उनको फूल चढ़ाता है, जो मानव अधिकारों के लिए जूझ रहे हैं, उनका सम्मान करता है और जो दासता और शोषण से मुक्ति दिलाते हैं, उनकी आराधना करता है।

दलित साहित्य 'स्व–अनुभूति' का साहित्य है, भोगे हुए जीवन की दास्तां का साहित्य है। ऐसी स्थिति में दलित, अछूत, मूल निवासी द्रविड़, अनार्य, शूद्र जाति में जन्मे हर व्यक्ति के दलित जीवन की

कहानी 'दलित साहित्य' का दस्तावेज है।

विदेशी आर्य तो अकेले ही ईरान से भारत में धन–धरती के लालच में आये थे। उन्होंने रात में धोखे से शान्तिप्रिय, कुशल शिल्पकार विशाल नगरों के सृजनकार यहां के मूल निवासियों पर आक्रमण कर उनके नगर, धन–सम्पदा पर तो कब्जा किया ही, यहां के मूल निवासियों की महिलाओं को भी बन्धक बनाकर अपनी 'रखैल' बना लिया और उन पर भी घर से बाहर निकलने और शिक्षा ग्रहण करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस तरह देश की सम्पूर्ण सवर्ण महिलाएं भी दलित समाज की धरोहर हैं और उनके बन्दी जीवन की दासता की व्यथा–कथा भी 'दलित साहित्य' का अभिन्न अंग है।

विदेशी आक्रमणकारी आर्यों ने न कोई नगर, शहर बसाये और न ही कोई गांव बसाये। वे तो जंगलों में आश्रम बनाकर रहने के अभ्यस्त थे। देश में जो साढ़े छः लाख गांव हैं, उनको बसाने, उनकी रचना करने और उनका नामकरण करने का श्रेय भी यहां के मूल निवासी अनार्यों को जाता है। इन गांवों में अलग–अलग बोली, भाषा, खान–पान, रहन–सहन, पहनावा, पूजा–पाठ, आस्था, तन्त्र–मन्त्र–टोटके की संस्कृति मूल निवासियों की संस्कृति है जो यहां के लोकगीत, लोकोक्ति, मुहावरे, रीति–रिवाज में आज भी जीवित है। अतः देश के ये साढ़े छह लाख गांवों की कहानी की दास्तां भी दलित साहित्य की धरोहर है।

आज यहां स्वयं साहित्यकारों के पास साहित्य में शोध करने के लिए अब कोई विषय नहीं बचा है, वहीं दलित साहित्य के पास साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास, धर्म आदि पर शोध करने के लिए दलित लेखकों के लिए एक हजार साल तक शोध सामग्री है। समाज में 80 फीसदी दलित स्त्री–पुरुषों के जीवन की कहानी दलित साहित्य भण्डार को जहां अभिवृद्धि करेगी, वहीं देश के साढ़े छह लाख गांवों के धरोहर की कहानी दलित साहित्य के भण्डार को अपने चहुंमुखी विरासत से सराबोर करने में सक्षम है। बस अब जरूरत है दलित लेखकों को कलम उठाकर अपने अभिशप्त जीवन की कहानी से शुरुआत करने की, अपने भोगे हुए जीवन के घृणित पृष्ठों को खोलने की। देश का प्रत्येक गांव अपने अन्दर अपना इतिहास समाये हुए है।

अतः दलित लेखकों को शोध के लिए शोध–विषय खोजने की जरूरत नहीं है। वह अपनी कलम से लिखना शुरू करें अपने जीवन की कहानी, अपने सामाजिक विषमता से भरे समाज की कहानी, वर्ण–व्यवस्था के दड़बेनुमा गांवों की कहानी इससे नये इतिहास का उदय होगा जिससे दलित साहित्य का सागर लहलहा उठेगा। •

दलित साहित्य

- डॉ. नविला सत्यदास

साहित्य !
साहित्य होता है
दलित नहीं होता
भला! हमसे बेहतर
कौन जान सकता है?
साहित्य कल्पनाओं का भौकाल नहीं
साहित्य विचार होता है
समाज की आवाज होता है
तर्कवादी विचार का
विस्तार होता है।
बहुजन महापुरुषों ने लिया है
लिखित संज्ञान
दिया है हमको
शिक्षा, संगठन, संघर्ष–पथ पर
बढ़ने का पैगाम
हां! बहुजनों को दी है
बाज–सी आंख
शेर–सी दहाड़
आंख में आंख
और हलक में ऊंगली डालकर
समस्याओं को नोचने का साहस
षड्यंत्रों की गुत्थियां
खोलने का ज्ञान
आदमी को आदमी के माप से
तोलने का परिमाण
घृणित आंख को फोड़ने का
समतावादी संवैधानिक विचार
हां ! बहुजनों ने
कर दिया है ऐलान
यानि भूख को भाग्य
धन्धे को धर्म
भेड़िए को भक्त मानने का
परम्परावादी प्रपंच
अब नहीं चलेगा।
मानवता के अपमान का
साहित्यिक पाखंड
अब नहीं चलेगा
मानवीय पक्षधरता
साहित्य का बुनियादी कर्म है
साहस–संघर्ष की सलीब पर
सीना तानकर
कर्मकांडी मूढ़ता का जमीनी सच
कागज की सतह पर रच दिया है।
हां! बहुजनों ने कर दिया है
अमानवीय अनाचारों के कारकों को
खुली चुनौती देने का आह्वान
तो साहित्य के गलियारों में
मच गया है हड़कंप।
अब वाह! के अतिसार से
धंस राई आंखें
और बौखलाई आवाजें
आह! के साहित्य पर
दलित–बहुजन शब्दों पर
कैसी भी भाषा–
आजमाइश कर लें
आम्बेडकरवादी विचार की
तेज धार और धारा को
नहीं रोक सकती। •

पृष्ठ 1 को शेष...डा. अम्बेडकर मिशन आगे बढ़ेगा तो दलित समाज भी आगे बढ़ेगा–डॉ. सुमनाक्षर

मुझे भारत से अछूत नेताओं के ये 30-31 'केबल' (तार) मिले हैं। ये सब भारत के विभिन्न प्रान्तों से आये हैं जहां मैं कभी गया ही नहीं हूं और न इन तार भेजने वाले दलित नेताओं से कभी मिला हूं। इन 'तार' में उन्होंने लिखा है कि डॉ. अम्बेडकर ही अकेले भारत के अछूतों के प्रतिनिधि हैं। ये 'तार' उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, आदि प्रान्तों से भेजे गये हैं।

वे सभी तार राउण्ड टेबुल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष को सौंपते हुए बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने कहा–'जब भारत के अछूतों को भारत के सवर्ण हिन्दुओं की भांति समानता के अधिकार प्राप्त नहीं है तो वे कैसे 'हिन्दू' हो सकते हैं? अछूतों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा–''आज भी अछूतों को सवर्ण हिन्दुओं की तरह विद्यालय में पढ़ने, उनके कुंये, तालाब, पोखर में जाकर पानी भरने, श्मशान घाटों पर अपने मुर्दे जलाने, निर्वाचन में वोट देने का जब बराबर के अधिकार नहीं है तो वे कैसे हिन्दू हो सकते हैं? बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने पूछा–''जब एक अछूत के हाथ का छुआ पानी, रोटी या अन्य पदार्थ को सवर्ण हिन्दू लेने व छूने से भी परहेज करते हैं तो वे कैसे 'हिन्दू' हुए? भारत के अछूत मूल निवासी हैं और भारत के असली मालिक हैं। इस देश के हर चीज पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना सवर्ण हिन्दुओं का। जो भारत की धन–सम्पदा व शासन प्रशासन पर अल्पमत में होते हुए भी कब्जा किये बैठे हैं। आपकी अंग्रेजी सरकार जो समता, न्याय, बराबरी में विश्वास करती है, उसने भी अपने सौ–डेढ़ सौ साल के शासन में उनको भी बराबर के अधिकार दिलाने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, पर अब समय आ गया है कि उन्हें सत्ता, शासन, प्रशासन, शिक्षण संस्थान व नौकरियों में बराबर के अधिकार दिये जायें ताकि वे भी आपकी हुकूमत में रहते हुए इंसानी बराबरी का अधिकार पाकर सुख का जीवन जी सकें।''

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के तर्कों के सामने महात्मा गांधी निरुत्तर हो गये। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने भारत के दलित अछूतों की दशा सुधारने के लिए 'राउंड टेबुल कान्फ्रेंस' में जो मांग की गई थी, उसी आधार पर अंग्रेजी हुकूमत ने 'कम्युनल अवार्ड' की घोषणा की। इसके अन्तर्गत निर्वाचन में अछूतों को दो वोटों का अधिकार दिया गया। एक वोट से वे सवर्ण प्रतिनिधि को चुन सकते थे और दूसरे वोट से वे अपना दलित प्रतिनिधि चुन सकते थे। इसके अलावा उनको निर्वाचन में 'आरक्षित वार्ड' बनाने तथा सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में उनकी आबादी के अनुपात में 'आरक्षण कोटा' निश्चित करने का अधिकार दिया गया था।

अंग्रेजी सरकार द्वारा दलित अछूतों को सवर्ण हिन्दुओं के बराबरी पर लाने के लिए थे जो 'कम्युनल अवार्ड' के अन्तर्गत अधिकार दिये गये थे, उससे महात्मा गांधी खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि इससे हिन्दू समाज टूट जायेगा। इसलिए उन्होंने इस 'कम्युनल अवार्ड' के खिलाफ पुणे की यरवदा जेल में, जहां वे नजरबन्द थे, आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इससे सारे देश में खलबली मच गई और बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर पर हिन्दू नेताओं का दबाव पड़ने लगा कि गांधी जी के प्राण बचाने के लिए वह 'कम्युनल अवार्ड' को वापिस कर दें।

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के काफी संघर्षों के बाद तो समानता के ये अधिकार दलितों को मिले थे, पर इसके खिलाफ ही गांधी जी ने अपना जीवन दाव पर लगा दिया। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने भारी दबाव के कारण गांधी जी के प्राण बचाने के लिए 'कम्युनल अवार्ड' छोड़ने की घोषणा की। इसकी एवज में 24 सितम्बर, 1932 को गांधी जी व डॉ. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिससे 'पूना पैक्ट' के नाम से जाना जाता है। इसके अन्तर्गत अछूतों को निर्वाचन में उनकी आबादी के अनुपात में 'आरक्षित वार्ड' बनाने और आरक्षित सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ने तथा शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था।

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर गांधी जी की सब चाल समझते थे कि वे इन अछूतों का उत्थान नहीं, बल्कि उन्हें सवर्ण हिन्दुओं का गुलाम बनाये रखना चाहते हैं। इसीलिए उस हिन्दू धर्म को जिसमें अछूतों को जानवरों से भी नीच समझा जाता है, 13 अक्तूबर, 1935 को येवला महासभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा था–''हिन्दू धर्म में पैदा होना मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिन्दू रहकर नहीं मरूंगा।'' अपने इस संकल्प को 14 अक्तूबर, 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर उन्होंने पूरा किया।

बाबा साहब ने अपने दलितों में सत्ता की कुंजी राजनीति में रूझान पैदा करने के लिए 1936 में 'इन्डिपेन्डेट लेबर पार्टी' बनाई। फिर 1942 में 'आल इंडिया शड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन' बनाई। 30 नवम्बर, 1956 को उन्होंने 'रिपब्लिक पार्टी आफ इंडिया' की स्थापना की। इन पार्टियों के बैनर पर दलितों ने चुनाव लड़कर सत्ता में हिस्सेदारी की।

भारत के आजाद होने पर बाबा साहब को पं. जवाहर लाल नेहरू के प्रथम मंत्रिमंडल में कानूनी मंत्री बनाया गया। इसके बाद भारत का

संविधान बनाने का काम उन्हें सौंपा गया, जिसे बखूबी निभाते हुए बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाकर 26 नवम्बर, 1949 को राष्ट्र को सौंपा।

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर की प्रतिभा के सभी कायल थे, पर राजनीति में उन्हें कोई बढ़ता देखना नहीं चाहता था। 'हिन्दू कोड बिल' को संसद में पारित करने से पं. नेहरू के मुकरने पर 27 अक्तूबर, 1951 को उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1952 के लोकसभा चुनाव में हराने के बावजूद वे मई, 1954 में मुंबई से राज्यसभा के सदस्य चुनकर संसद में आ गये।

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर को हिन्दू समाज और हिन्दू राजनेताओं से कदम–कदम पर लोहा लेना पड़ा, क्योंकि वह चाहते थे कि अछूत दलितों के चहुंमुखी विकास के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ उन्हें आरक्षण कोटे का जो विशेष प्रावधान रखा है, उसका लाभ उन्हें मिले। इसी लक्ष्य हेतु वह दिन–रात कार्यरत रहते थे। और अन्त में 6 दिसम्बर, 1956 को 'बुद्ध एंड हिज धम्म' ग्रन्थ की भूमिका लिखकर वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गये।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर दलित समाज के बुद्धिजीवियों से बहुत निराश थे। इसीलिए उन्होंने अपने निजी सचिव श्री नानक चन्द रत्तू से आखिरी क्षणों में कहा था–

मेरे लोगों से कह देना कि मैंने उनके लिए जो कुछ भी हासिल किया है, वह मैंने अकेले ने किया है। मैं सारा जीवन अपने विरोधियों और अपने ही उन मुट्ठी भर लोगों से लड़ता रहा हूं जिन्होंने अपने स्वार्थ हेतु मुझे धोखा दे दिया। मैं बड़ी कठिनाइयों से इस कारवां को यहां तक लेकर आया हूं जहां आज यह दिखाई देता है। यदि मेरे लोग, मेरे साथी कारवां को आगे ले जाने योग्य नहीं हैं तो उन्हें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां यह आज दिखाई दे रहा है। यही मेरा अंतिम संदेश है। •

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 200/- और आजीवन 1000/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–

सम्पादक : हिमायती
बी 3/9, दूसरी मंजिल,
माडल टाउन-1, दिल्ली-9

अछूत की शिकायत

• हीरा डोम

हमनी के राति दिन दुखवा भोगत बानी
हमनी के सहे ब से मिनती सुनाइबि।
हमनी के दुख भगवानओं न दे खता ते,
हमनी के कबले कलेसवा उठाइबि।
पदरी सहेब के कचहरी में जाइबिजां,
बेध्रम होके रंगरेज बानि जाइबिजां,
हाय राम! धसरम न छोड़त बनत बाजे
बे–धरम होके कैसे मुंहवा दिखइबि ।। 1।।

खंभवा के फारी पहलाद के बंचवले।
ग्राह के मुँह से गजराज के बचवले।
धोतीं जरु जोधना के भइया छोरत रहै,
परगट होके तहां कपड़ा बढ़वले।
मरले वनवाँ कै पलले भभिखना के,
कानी उँगुरी पै धैके पथरा उठले।
कहंवा सुतल बाटे सुनत न बाटे अब।
डोम तानि हमनी क छुए से डेराले ।। 2।।

हमनी के राति दिन मेहत करीजां,
दुइगो रूपयावा दरमहा में पाइबि।
ठाकुरे के सुख सेत घर में सुलत बानीं,
हमनी के जोति–जोति खेतिया कमाइबि।
हकिमे के लसकरि उतरल बानीं।
जेत उहओं बेगारीया में पकरल जाइबि।
मुँह बान्हि ऐसन नौकरिया करत बानीं,
ई कुल खबरी सरकार के सुनाइबि ।। 3।।

बभने के लेखे हम भिखिया न मांगबजां,
ठकुर क लेखे नहिं लउरि चलाइबि।
सहुआ के लेखे नहि डांड़ी हम जोरबजां,
अहिरा के लेखे न कबित्त हम जोरजां,
पबड़ी न बनि के कचहरी में जाइबि ।। 4।।

अपने पहसनवा कै पइसा कमादबजां,
घर भर मिलि जुलि बांटि–चोंटि खदबि।
हड़वा मसुदया कै देहियां बभनओं कै बानीं,
ओकरा कै घरे पुजवा होखत बाजे,
ओकरै इलकवा भदलें जिजमानी।
सगरै इलकवा भइलें जिजमानी।
हमनी क इनरा के निगिचे न जाइलेजां,
पांके से पिटि–पिटि हाथ गोड़ तुरिदै लें,
हमने के एतनी काही के हलकानी।।5।।

(यह कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित 'सरस्वती' सितंबर 1914, भाग 15, खंड 2, पृष्ठ संख्या 512-5103 में प्रकाशित हुई थी। इसे हिन्दी में प्रकाशित पहली 'दलित कविता' कहा जाता है।)

हिमायती
7 / नवम्बर (प्रथम) 2024 (कुल पृष्ठ 4)
प्रकाशन तिथि : 31 अक्तूबर, 2024

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020

साहित्य में 'दलित' शब्द वंचितों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए सद्प्रयास है–डॉ. रामगोपाल भारतीय

सृष्टि के सभी प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो समाज बनाकर अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास करता है। इस विकास में उसकी बुद्धि तथा आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान उस की सहायता करते हैं। किंतु सामाजिक विकास उस समय बाधित हो जाता है जब समाज का एक वर्ग संगठित होकर दूसरे वर्ग को समाज के न्यायोचित अधिकारों से वंचित करने तथा अपने वर्चस्व के लिए अन्याय और शोषण आधारित कुछ नियम बनाकर वंचित वर्ग पर थोप देता है। हमारे देश भारत में भी हजारों वर्ष पूर्व यही हुआ। जब व्यवस्था के नाम पर कुछ मनुष्यों को ऊंचा तथा शेष बड़े समुदाय को नीचा घोषित किया गया और योजनाबद्ध रूप में इन नियमों को शास्त्र सम्मत बताया गया।

आजादी के 77 वर्ष बाद देश में समता आधारित संवैधानिक व्यवस्था के बावजूद, हम कहीं कहीं उसी अनैतिक व्यवस्था के अवशेष प्राय देखते रहते हैं। अनुभवजन्य मेरे इस दोहे में वर्णित स्थिति से बहुत लोग गुजरते होंगे–

हुई सफर में मित्रता
पूछी उसने जात।
कड़वी कड़वी हो गई
मीठी मीठी बात।।

इसी व्यवस्था के विरोध में 'दलित' शब्द का जन्म हुआ, जिसमें वंचितों को समान अधिकारों के लिए संघर्ष था, विमर्श था। स्पष्ट है कि 'दलित' शब्द किसी एक जाति अथवा व्यक्ति के लिए नहीं, अपितु समाज में जो भी सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रहा है, उसे समग्र विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए एक सद्प्रयास था। इस प्रयास में विशेष यह था कि दलितोद्धार के लिए न केवल वंचित समुदाय के नेताओं ने संघर्ष किया बल्कि समर्थ और सुविधा प्राप्त सामान्य वर्ग के विचारशील समाज सुधारकों ने भी अपना योगदान दिया। साहित्यिक व सामाजिक योगदान की बात करें, तो बुद्ध, कबीर, नानक, रविदास, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, राहुल सांकृत्यायन, संत बसबन्ना, संत तिरुवल्लरम, द्रविड़ विचारक पेरियार स्वामी, संत तुकाराम, मुंशी प्रेमचंद, हीरा डोम, अछूतानंद 'हरिहर', दुष्यंत कुमार, ओमप्रकाश वाल्मीकि तथा अदम गोंडवी तक एक लंबी श्रृंखला है।

कोई माने या ना माने किंतु दलित विमर्श हेतु लिखने वाले साहित्यकार सदैव साहित्य की मुख्यधारा में ना होकर हाशिए पर ही रहे। कारण अनेक हैं, किंतु प्रमुख कारण साहित्य को स्थापित करने में परंपरागत रूप से सामर्थ्यवान उच्च वर्गीय साहित्यकारों में इस वंचित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होना ही रहा। यही कारण है कि आज भी धर्म और राजनीति में ही नहीं बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी 'दलित विमर्श' पर लिखने वालों को हाशिए पर ही रखा जाता है। यहां तक कि स्थापित प्रमुख साहित्यकार किसी साहित्य को दलित साहित्य मानने और उस साहित्यकार को दलित साहित्यकार कहने में परहेज करते हैं, और उसे एक जाति या विशेष समुदाय से जोड़कर इस की आवश्यकता, गंभीरता और महत्व को ही कम करने का प्रयास करते हैं।

यदि कविता का जन्म करुणा और संवेदना से हुआ है, जैसा कि क्रोच पक्षी को तीर लगने पर उसकी पीड़ा से आहत महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकले श्लोक को विश्व की पहली कविता माना जाता है, तो प्रत्येक साहित्यकार का यह प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि वह समाज के दबे कुचले वंचित वर्ग की व्यथा और उसके निराकरण को अपने लेखन का विषय बनाएं। किंतु कितने साहित्यकार इस दायित्व का निर्वाह कर पाते हैं... इसी कारण समाज को सही मार्ग दिखाने वाली अच्छी से अच्छी रचनाएं समर्थ होकर भी गुमनामी के अंधकार में डूब जाती हैं और उनकी चर्चाएं पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों में उस अनुपात में नहीं हो पाती, जिस तरह से अन्य स्थापित रचनाकारों को स्थान दिया जाता है। समय और स्थान की सीमाएं हैं, जबकि विमर्श असीमित है। अतः हमारा यहां केवल यह प्रयास रहेगा कि दलित विमर्श पर सार्थक सृजन करने वाले कुछ रचनाकारों तथा उनकी रचनाओं से प्रबुद्ध पाठकों का परिचय कराया जा सके। •

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 200/- और आजीवन 1000/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–

सम्पादक : हिमायती
बी 3/9, दूसरी मंजिल,
माडल टाउन-1, दिल्ली-9

गर्व से कहो हम भारतीय हैं

श्रीमती श्याम नेगी

हम लोग अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं इसलिये हिंदू नहीं कहलाए जा सकते। ''अनुसूचित जाति का अर्थ? यानी जाति का मतलब तो सबको पता है परन्तु अनुसूचित का मतलब सभी को शायद पता नहीं है?

सन् 1931 में उस समय के जनगणना आयुक्त ने पहली सम्पूर्ण भारत की अस्पृश्य जातियों की जनगणना करवाई और बताया कि भारत में 1108 अस्पृश्य जातियां हैं और वे सभी जातियां हिन्दू धर्म के बाहर हैं, इसलिए इन जातियों को 'बहिष्कृत जाति' कहा गया है। उस समय के प्रधानमंत्री रैम्से मैक्डोनाल्ड ने देखा कि हिन्दू, मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन की तरह बहिष्कृत जातियां भी एक स्वतंत्र वर्ग है और इन जातियों का हिंदू धर्म में समाविष्ट नहीं है।

इसलिए, उनकी एक सूची तैयार की गयी। उस सूची में समाविष्ट समस्त जातियों को ही 'अनुसूचित जाति' कहा जाता है। इसी के आधार पर भारत सरकार द्वारा 'अनुसूचित जाति अध्यादेश 1935' के अनुसार कुछ सुविधाएं दी गई हैं। उसी आधार पर भारत सरकार ने 'अनुसूचित जाति अध्यादेश 1936' जारी कर आरक्षण सुविधा का प्रावधान किया।

आगे 1936 के उसी अनुसूचित जाति अध्यादेश में थोड़ा बदलाव कर 'अनुसूचित जाति अध्यादेश 1950' पारित कर आरक्षण का प्रावधान किया गया।

अनुसूचित जाति का इतिहास यही कहता है कि यह भारत वर्ष में 1931 की जनगणना के पहले की अस्पृश्य, बहिष्कृत जातियां हिन्दू धर्म से बाहर थीं और उन्हीं जातियों की सूची के आधार पर बाबा साहब डा. अम्बेडकर जी ने ब्राह्मणों के खिलाफ जाकर अंग्रेजों से लड़कर हमें मानवीय अधिकार दिलाने में वे सफल हुए।

इसलिए हमें भी ये अच्छे से जान और समझ लेना चाहिए कि अनुसूचित का मतलब उस दौर में (अस्पृश्य, बहिष्कृत, हिन्दू से बाहर), जो हिन्दू नहीं थीं, वे जातियां हैं। हिन्दू धर्म की स्वतंत्र वर्ण व्यवस्था से बाहर पांचवां अघोषित वर्ण 'अतिशूद्र' अनुसूचित जाति हमारी संवैधानिक पहचान है और आज जो कुछ लाभ हम ले रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ मिलता है अनुसूचित (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) के नाम पर। ना कि दलित, चमार, पासी, धोबी, धानुक, खटिक या नट, थारू, कोल, भील आदि जाति के नाम पर।

'अनुसूचित' नाम का इतिहास गोलमेज सम्मेलन एवं पूना पैक्ट पढ़िए। इसके बावजूद भी हमारे समाज के अछूत और अस्पृश्य लोग हिन्दू धर्म की परिभाषा में नहीं आते हैं। अगर हम लोग अभी भी हिन्दुत्व का लबादा ओढ़े हुए हैं तो नैतिक रूप से बाबा साहब डा. अम्बेडकर जी के संविधान का सरासर अपमान कर रहे हैं। हमेशा याद रहे कि अनुसूचित का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो लोग हिन्दू धर्म में नहीं हैं वे लोग अनुसूचित वर्ग से हैं। इस सन्देश के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। उम्मीद है आप यह मैसेज आगे फारवर्ड करके बहुजन समाज के लोगों को समझाने की अवश्य कोशिश करेंगे। •

भारतीय दलित साहित्य अकादमी

मुख्यालय : बी-3/9, दूसरी मंजिल, मॉडल टाउन-1,
दिल्ली-110009 (भारत)

40वां राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन

निमन्त्रण पत्र

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के तत्वावधान में द्विदिवसीय 40वां राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन **पंचशील आश्रम, झड़ौदा गांव (बुराड़ी बाई पास), निरंकारी समागम ग्राउंड के सामने, आऊटर रिंग रोड, दिल्ली–84 में 8-9 दिसम्बर, 2024** को आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश के सभी राज्यों के, सभी भाषाओं के दलितोत्थान में जुटे दलित साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, सम्पादक, समाजसेवी आदि भाग लेंगे जो दलितोत्थान विषयों पर विचार–विमर्श करेंगे। दलित नेताओं को भी इस सम्मेलन में आमन्त्रित किया गया है। आप दलित समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और शुभ चिन्तक होने के नाते इस सम्मेलन में मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। सभी प्रतिनिधियों के आवास की व्यवस्था अकादमी की ओर से सम्मेलन स्थल पंचशील आश्रम, झड़ौदा गांव (बुराड़ी बाई पास), दिल्ली–84 में की गई है। आप अपने सुझाव/विचार/प्रस्ताव तथा आने वाले साथियों की सूची शीघ्र भेज देंगे तो इससे व्यवस्था करने में आसानी होगी। आशा है सम्मेलन को सफल बनाने में आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

डा. सोहनपाल सुमनाक्षर
राष्ट्रीय अध्यक्ष
मो. : 9810278936

जय सुमनाक्षर
राष्ट्रीय महासचिव
मो. : 9891989175

E-mail : jay.sumanakshar@gmail.com
Website : www.bdsakadami.com

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009